

कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद जिला— सकती (छ.ग.)

क्र. 148/स्था. / अति.व्या. / 2025

हसौद, दिनांक— 25.07.2025

// अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.07.2025 के परिपालन में शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद जिला—सकती (छ.ग.) में रसायनशास्त्र विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक समस्त प्रमाण—पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 05.08.2025 को सायं 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता —

- अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिये न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख—रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। विनियम 2018 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
- आयु सीमा :— अतिथि व्याख्याता अधिकतम 65 वर्ष तक।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :—

क्र.	विषय	रिक्त पद	अतिथि व्याख्याता हेतु रिक्त पद
01	रसायनशास्त्र (सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध)	01	01

टीप :— संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :—

- आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम फिल/पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- दिनांक 05.08.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुकम सूची में शामिल किया जावेगा। ई—मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
- अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 08.08.2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
- गुणानुकम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 11.08.2025 से 12.08.2025 तक होगी।
- अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 13.08.2025 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
- आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
- आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
- अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :—

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30000/- प्रतिमाह अधिकतम)
ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखण्ड लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35000/-प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद, जिला—सकती (छ.ग.) मु. पो—हसौद, तह—जैजैपुर, जिला सकती (छ.ग.) पिन 495661 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे ।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक—सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक—सेवक नहीं कहलायेंगे ।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी ।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे ।
15. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे ।
16. विज्ञापन के प्रकाशन में किसी प्रकार की लिपकीय त्रुटि आदि होने पर उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेज (यथा शासन द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति 2024 एवं अन्य संदर्भित आदेश आदि) के प्रवधान लागू होंगे । किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में प्राचार्य अथवा आवश्यक होने पर उच्च शिक्षा संचालनालय/विभाग द्वारा की गई व्याख्या/निर्णय अंतिम व प्रभावी होगा ।
17. पूर्व में जो आवेदनकर्ता उक्त पद हेतु आवेदन प्रेषित कर चुके थे । उन्हें पुनः आवेदन प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है ।

Principal

Govt Navin College, Hasoud

Distt Sakti(C G)

प्रभारी प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद,

जिला — सकती (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 149 /स्था./ अति.व्या/ 2025

हसौद, दिनांक 25.07.2025

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)को सूचनार्थ ।
- 02 कलेक्टर, जिला सकती (छ.ग.) ।
- 03 अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.) ।
- 04 प्राचार्य शास.क्रांति कुमार अग्रणी महाविद्यालय, सकती को सूचनार्थ ।

Principal

Govt Navin College, Hasoud

Distt Sakti(C G)

प्रभारी प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद,

जिला — सकती (छ.ग.)